राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक का नाम
1.	1707/2022 महेश्वरी जैन	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला बांसवाडा (राज.)।	23.05.2022	श्री एस. के. सिंगोदिया, अभिभाषक
2.	1708/2022 सतीश चन्द्र त्रिवेद्वी			
3.	1764/2022 संगीता देवरा		26.05.2022	

आदेश की दिनांक : 17.01.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1707/2022 महेश्वरी जैन बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ओटापाडा, पी.ई.ई.ओ., बडाना घाटोल, जिला बांसवाडा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान प्रारंभिक नियुक्ति से प्राप्त करने का अधिकारी है और वेतन वृद्धि वरिष्ठता आदि का लाभ भी प्राप्त करने का हकदार है। कार्यालय आदेश दिनांक 10.07.2017 के अनुसार अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। परंतु अपीलार्थी की सेवाएं की अवधि उसकी योग्यता प्राप्त करने की तिथि से गणना की गई। अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का लीगल नोटिस दिनांक 07.04.2021 प्रत्यर्थी विभाग

को भिजवाया। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1984 में उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपीलार्थी को संविदा आधार पर दिनांक 11.02.1985 अध्यापक के पद पर लगाया गया। आदेश दिनांक 09.12.1999 के अनुसार जो कार्यग्रहण के समय योग्यता रखते थे उन कार्मिकों को अध्यापक के पद पर नियमित कर दिया गया। आदेश दिनांक 28.06.2003 के द्वारा अपीलार्थी को नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया। नियम, 1971 के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 12.03.2008 से स्थाई घोषित किया गया और जबकि प्रारंभिक नियुक्ति उसकी दिनांक 08.07.2003 दर्शायी गई जबकि इस अवधि के दौरान अपीलार्थी बी.एस.टी.सी. की योग्यता पत्राचार के माध्यम से वर्ष 2008 में पूर्ण कर चुका था और अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा है। उसके विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं रही है। आदेश दिनांक 10.07.2017 के द्वारा अपीलार्थी की जानकारी में आया कि उसकी सेवाओं की अवधि की गणना वर्ष 2008 से की गई है, जबकि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति वर्ष 2003 उल्लेखित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1949/1990 में पारित आदेश दिनांक 05.08.1992 महेन्द्र सिंह बनाम राज्य में पारित निर्णय की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अपीलार्थी के समान मामले को सही माना है। माननीय अधिकरण द्वारा भी अपील संख्या 35/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2022 की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें प्रार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग द्वारा नियमानुसार निस्तारित करने का आदेश फरमाया गया।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ उसकी प्रारंभिक नियुक्ति से सेवा अवधि की गणना करते हुए सभी पारिणामिक लाभ दिए जाएं तथा शेष राशि का भुगतान भी मय ब्याज से किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक

कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों पर बिना गुणावगुण पर विचार किए, अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 1707/2022 महेश्वरी जैन बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य